न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–20.08.2024

दमा नम्बर 138 / 2024

1. सीताराम पुत्र पोकर जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. शिवनाथ पुत्र पोकर
2. मनीराम पुत्र पोकर
3. सुलतान सिंह पुत्र पोकर
4. नरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र लक्ष्मण
5. प्रहलाद पुत्र बिड़दा
6. नाथी पुत्री भोलाराम
7. मंजू पुत्री भोलाराम
8. सरोज पुत्री भोलाराम
9. सुशिला पुत्री भोलाराम
10. मुन्नी पुत्री भोलाराम
11. बंटी पुत्री भोलाराम
12. भानी स्त्री भजना समस्त जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
14. शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री शिशुपाल सिंह कुल्हरि**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–30.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2275 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 2276 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2313 रकबा 2.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.86 है0 में स्वर्गीय पोकर के वारिस वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को बराबर बराबर 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 12 की खातेदारी यथावत रखी जाव।

प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी के 1/16 हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु सीताराम तथा जयप्रकाश [illegible] के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी [illegible] प्रदर्श 2 नकल मिलान [illegible] सम्वत् 2053, प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल [illegible] 1985, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2[illegible] 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2025–28, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत् 1985, प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी [illegible] 2044 आधार वर्ष, प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2048–51, प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2061–64 आदि दस्तावेज पेश किये।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली की अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में 1/4 हिस्से का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का पिता स्व0 पोकर की खातेदारी की भूमि है। स्व0 पोकर के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/4 भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज हो गई तथा वादी को उसके 1/16 हिस्से से वंचित रखा गया। अतः उक्त भूमि में 1/16 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2275 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 2276 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2313 रकबा 2.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.86 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 12 का हिस्सा यथावत रखा जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/16 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:34 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 138 / 2024 **(सीताराम बनाम शिवनाथ आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2275 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 2276 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2313 रकबा 2.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.86 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 12 का हिस्सा यथावत रखा जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/16 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:34 IST
Reason: SelfAttested